

से करें/50  
01/08/2018 प्रेषक,

संख्या- 671 /XXIV(1)/2018/15/2011Vol I

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा/नियंत्रक अधिकारी,  
यू०टी०ई०टी०, ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)

देहरादून: दिनांक 01 अगस्त, 2018

विषय: यू०टी०ई०टी० परीक्षा 2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: उ०वि०शि०प०/यू०टी०ई०टी० 2018/167/2018-19, दिनांक 05.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि यू०टी०ई०टी० परीक्षा 2018 के आयोजन के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन०सी०टी०ई० द्वारा जारी नवीन अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 के प्राविधानों के अधीन 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी०एड०) अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2018 में सम्मिलित किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है तथा यू०टी०ई०टी०, 2018 परीक्षा हेतु शासनादेश संख्या: 446, दिनांक 21.05.2018 द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम में आपके प्रस्तावानुसार एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या: 502/XXIV(1)/2016-15/2011, दिनांक 05.05.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये एवं उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीया,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)

सचिव

संख्या- /XXIV(1)/2018/15/2011Vol I तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड एवं निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)

उप सचिव